नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30/10/18	पत्रावली पेश हुई। आज अन्य राजकीय/प्रशासनिक कार्यों सभा अधिकारी में व्यस्त हैं पत्रावली आइन्दा आदेश दि० 13/11/18 को पेश हो। [initial]	
	13/11/18	पत्रावली पेश हुई। आज अन्य राजकीय/प्रशासनिक कार्यों सभा अधिकारी में व्यस्त हैं। पत्रावली आइन्दा आदेश दि० 17-1-19 को पेश हो। [initial]	
	17.1.19	वकुलाय उभय प्रार्थना पत्र O-7-R-11 CPC पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 22.1.19 को पेश हो। [initial]	
	22.1.19	वकुलाय उभय प्रार्थना पत्र O-7-R-11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया शामिल पत्रावली है। पत्रावली की नक्शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। [initial] 22/1/19 उपखण्ड अधिकारी निवाई	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :–27/2018
निर्णय दिनांकः–22.01.2019

उनवान

श्योजी पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक –वादी

बनाम

1. मदनी पुत्री बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
2. महेन्द्र पुत्र मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
3. राजेन्द्र पुत्र मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
4. मु. शांति बेवा मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
5. फूली पुत्री मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री गिरधर सिंह तंवर, रविप्रकाश पारीक वकील वादी
श्री रामावतार शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 5

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी के पिता स्व. पिता नन्दा पुत्र जगन्नाथ जाट की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 319 रकबा 01–12 बीघा, ख.नं. 1704 रकबा 0–18 बीघा, ख.नं. 1705 रकबा 0–05 बीघा, ख.नं. 1717 रकबा 0–10 बीघा, ख.नं. 1827 रकबा 02–06 बीघा, ख.नं. 2176 रकबा 01–01 बीघा, ख.नं. 2156 रकबा 0–02 बीघा, ख.नं. 2180 रकबा 01–00 बीघा, ख.नं. 2190 रकबा 0–06 बीघा, ख.नं. 2191 रकबा 0–05 बीघा, ख.नं. 378 रकबा 01–01 बीघा, ख.नं. 2341 रकबा 0–16 बीघा वाके ग्राम रजवास तह. निवाई में स्थित है। वादी के पिता नन्दा जी के पिता जगन्नाथ जी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता बजरंगा के पिता कालू सगे भाई थे। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के पिता बजरंगा जी वादी के पिता के ताउजी के लडके यानि भाई लगते थे। प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने वादी के साथ छल व धोखाधडी करते हुये वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी के पिता स्व. नन्दा के स्थान पर अन्य व्यक्ति को नन्दा के रूप में स्थापित करते हुये उप–पंजीयक से साज त मिलीभगत करते हुये व उप–पंजीयक को फर्जी नन्दा को असली नन्दा बताकर गवाहान से साज व मिलीभगत करते हुये दिनांक 30.7.79 को वाद वर्णित आराजीयात का बेईमानी से रजि. विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया। आज तक क्रेता या उसके वारिसान प्रतिवादीगण का विक्रय की गई कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं है। वादी का अपने पिता के जीवनकाल से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। तथा उक्त आराजीयात में से कुछ ख.नं. आज भी वादी के ही नाम चली आ रही है। वादी ने उक्त रजि. विक्रय पत्र के निरस्त घोषित करवाने हेतु एक वाद उनवानी श्योजी बनाम शांति वगै. के नाम से वाद पत्र सं. 28/15 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं. 24/15 माननीय सिविल न्यायाधीश निवाई के न्यायालय में दिनांक 15.04.15 को दायर किया है जो लम्बित है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् रजि. विक्रय पत्र में अंकित वादग्रस्त ख.नं. को विक्रय रहन नहीं करने हेतु हस्तान्तरण नहीं करने हेतु व यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द भी कर रखा है। परन्तु प्रतिवादीगण ने जबरन अतिक्रमण कर मकान बनाने हेतु नीवें खोदना आरम्भ कर दिया हैं। अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वह ग्राम रजवास में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1704 रकबा 0–18 बीघा व वादी तथा प्रतिवादीगण की शामलाती ख.नं. 1703 की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरण करवाये बगैर करवाये जा रहे निर्माण को अविलम्ब रूकवाया जावे, प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह पुख्ता मकान का निर्माण कार्य स्वयं

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

परिवारजन, नौकर, एजेन्ट आदि द्वारा नहीं करवावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह ख.नं. 1703, 319, 1705, 1717, 1827, 2176, 2156, 2180, 2190, 2191, 2351 वाके ग्राम रजवास की भूमि पर वादी के कब्जेकाश्त में बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 2 ता 5 की ओर से श्री रामावतार शर्मा एड. ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में निवेदन किया कि उक्त वाद मात्र स्थाई निषेधाज्ञा की प्रकृति का प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी का वादवर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व वास्ता नहीं है उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नन्दा पुत्र जगन्नाथ के नाम खातेदारी में दर्ज इन्द्राज थी जिसे वादी के पिता नन्दा पुत्र जगन्नाथ ने दिनांक 30.7.79 को ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर बतौर खातेदार मालिक स्वामी कब्जा आधिपत्य प्रतिवादीगण का कायम करवाया जा चुका था तभी से उक्त प्रतिवादीगण भूमि पूर्णतया खातेदार मालिक स्वामी है बिना मालिक स्वामी एवं बिना आधिपत्य के वादी को उक्त स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकृति का वाद प्रस्तुत करने का ही कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई वादकारण प्राप्त नहीं होता है ऐसी स्थिति में उक्त वाद प्रथदृष्टिया ही बार्ड बाई लॉ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का मान्य न्यायालय हाजा को कोई विधिक श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार नहीं है बिना सक्षम न्यायालय से उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाये वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का ही कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त वाद मान्य न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के संबंध में वादी ने मान्य न्यायालय हाजा को गुमराह कर भ्रमित करते हुये उक्त वाद गलत रूप से बिना वाद कारण एवं बिना क्षैत्राधिकार से गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो बार्ड बाई लॉ होने से इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण का काफी समय से बीपीएल इन्द्रा आवास मौके पर बने हुये है जिसमें प्रतिवादीगण निवास कर रहे है ऐसी स्थिति में वादी का उक्त भूमि पर ना तो कब्जा काश्त है और ना ही कोई मालिकाना अधिकार है वादी बिना मालिकाना अधिकार घोषित करवाये न्यायालय हाजा में उक्त वाद प्रस्तुत करने का ही विधिक अधिकारी नहीं है। अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का उक्त वाद वार्ड बाई लॉ एवं विधि के विपरीत होने कारण निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया। जवाब में निवेदन किया कि आज भी वादग्रस्त भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण काबिज नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फर्जकारी व साजिसी तौर पर पंजीयन करवाया गया था जिसकी निरस्ती का वाद सिविल न्यायालय में लम्बित है। यह वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा की प्रकृति का है ना कि विक्रय पत्र निरस्ती का। प्रतिवादीगण द्वारा ख.नं. 1703, 1704 पर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया था इस कारण से उक्त वाद दायर किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पत्रावली में संलग्न सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति अनुसार सिविल न्यायालय से प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा भी खारिज हो चुकी है तथा तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट दिनांक 01.04.2013 के अनुसार उक्त वर्णित खसरा नम्बर पर केता का ही कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22/1/19

हनुमान कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

श्योजी पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक —वादी

बनाम

1. मदनी पुत्री बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
2. महेन्द्र पुत्र मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
3. राजेन्द्र पुत्र मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
4. मु. शांति बेवा मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक
5. फूली पुत्री मदन जाति जाट निवासी ग्राम रजवास तह. निवाई जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः—27/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री गिरधर सिंह तंवर, रविप्रकाश पारीक वकील वादी व श्री रामावतार शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 5 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

22/1/19

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner